न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 41 / 2025

चोलामण्डलम इनवेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीयकृत कार्यालय प्रथम तल, डेयर हाउस नं.–02, एन.एस.सी. बोस रोड, पैरीज, चेन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय वैशाली नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप कुमार

....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. अतुल कुमार फौजदार पुत्र स्व0 श्री ज्ञान सिंह
2. अल्का देवेन्द्र

– निवासी एलएलजी फ्लेट, 201–बी–ब्लॉक, अनुकम्पा, द्वारिका, गॉव सांगानेर, मुहाना मण्डी जयपुर राज0

3. कुसुम लता पत्नि स्व0 श्री ज्ञान सिंह निवासी प्लॉट नं. 38, नीयर एस.आर. अस्थाना स्कूल, संजय नगर, भरतपुर, राज0 321001

.........अप्रार्थी / सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश **दिनांक 30.05.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 17.07.2025 को जरिए ऋण अनुबन्ध संख्या HL01SDG00000080019 में ऋण राशि रू. 30,00,000/– (शब्देन तीस लाख रू. मात्र) ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने प्लॉट संख्या–38, संजय नगर, (फैज द्वितीय), तहसील व जिला भरतपुर राज0 321001 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जिसका क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज है जो कि थाना मथुरा गेट, भरतपुर के अन्तर्गत आता है, जिसका स्वामित्व श्रीमती कुसुमलता पत्नि स्व0 श्री ज्ञान सिंह का है को प्रार्थी बैंक/फाईनेंस कम्पनी के हक में बंधक रखा था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 05.03.2025 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

दिनांक 05.03.2025 तक कुल बकाया राशि रू. 31,11,863 /– (शब्देन इकत्तीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ तिरेसठ रू. मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 05.03.2025 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक / फाईनेंस कम्पनी द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक / फाईनेंस कम्पनी के हक में बंधक रखा गया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक / फाईनेंस कम्पनी द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 05.03.2025 से अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक / फाईनेंस कम्पनी द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक / फाइनेंस कम्पनी से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट संख्या–38, संजय नगर, (फैज द्वितीय), तहसील व जिला भरतपुर राज0 321001 पर स्थित है

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 41 / 2025
चोला मण्डलम इनवेस्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमि0
बनाम अतुल कुमार फौजदार वगै0

जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जिसका क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज है जो कि थाना मथुरा गेट, भरतपुर के अन्तर्गत आता है, जिसका स्वामित्व श्रीमती कुसुमलता पत्नि स्व0 श्री ज्ञान सिंह का है को प्रार्थी बैंक / फाईनेंस कम्पनी के हक में बंधक रखा था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक / फाईनेंस कम्पनी को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ0 अमिर्त यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर